उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN: U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: 1607 अधि०निदे०(मा०सं०) / उपाकालि / S-II (चिकित्सा) दिनांक: 13/4/26

कार्यालय–ज्ञाप

ब्लैस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल, 2nd Floor, Cosmos Tower, Dharampur Mandi, Araghar देहरादून, को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों/पारिवारिक पेशनर एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के सभी पेशनर्स, जो कि उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे है तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह परिजनों/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्य/पारिवारिक पेंशनर को कारपोरेशन नियमानुसार उक्त चिकित्सालय में कराये गये चिकित्सा/उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कॉरपोरेशन की मान्यता निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1– चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 2088–एनजी/11/एसईबी0(चतुर्थ)–29–एनजी–11/78 दि0–24–05–78, कारपोरेशन आदेश सं0–5731/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु0–का0–ई/एम–1 दि0–22–08–06 एवं समय–समय पर जारी एतद्विषयक प्रभावी आदेशों में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों/शर्तो के आधीन अनुमन्य होगी।

2– उक्त चिकित्सालय सलग्न दर सूची(पृष्ठ सं0–26 से पृष्ठ सं0–30 तक) में दर्शायी गयी दरों पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा तथा अपनी दर सूची बिना कारपोरेशन की सहमति के पुनरीक्षित नहीं करेगा।

3– उक्त चिकित्सालय की मान्यता **आदेश निर्गमन की तिथि** से दि0–31.03.2027 तक की अवधि के लिए मान्य होगी ।

4– उक्त चिकित्सालय अपने परिसर मे एक साईन बोर्ड लगायेगा जो यह दर्शाएगा :–
" उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उनपर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों/पारिवारिक पेशनर एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के सभी पेशनर्स, जो कि उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे है तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह परिजनों/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्य/पारिवारिक पेंशनर के लिए अधिकृत चिकित्सालय"

5– चिकित्सालय द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 का एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा जिसमे निम्न प्रविष्टियां अनिवार्यतः की जायेंगी।

(1) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग ।
(2) यदि रोगी स्वयं कर्मचारी/अधिकारी नही है, तो उसके पिता/पति का नाम और रोगी से सम्बन्ध। (केवल पूर्णतया आश्रित होने की स्थिति मे)
(3) चिकित्सालय मे भर्ती एवं डिस्चार्ज की तिथि
(4) कर्मचारी का वेतनमान तथा तैनाती स्थान ।
(5) रोग का विवरण ।
(6) कुल प्राप्त की गयी राशि ।
(7) निगम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

उक्त रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी ।

6– प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित–प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये चिकित्सा–बीजकों के भुगतान की प्रकिया यथावत रहेगी।

क्रमशः–2

7– उपाकालि में लागू नियमों/प्राविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

8– कारपोरेशन चाहे तो कारपोरेशन हित में चिकित्सालय को बिना कारण बताये पूर्व सूचित करते हुये कॉरपोरेशन पैनल से हटा सकता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1607 अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-II (चिकित्सा) तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :–

1. स्टॉफ ऑफिसर–I, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0कॉ0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक(वित्त/परिचालन/परियोजना)उपाकालि, वि0कॉ0वि0, ग0सिं0 ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. स्टाफ आफिसर–I, अधिशासी निदेशक(मा0सं0) उपाकालि, वि0कॉ0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, उपाकालि..।
5. समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि,..।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि..।
8. अधिशासी अभियन्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उपाकालि, वि0कॉ0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन देहरादून को कॉरपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
9. मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
10. **ब्लैस्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल, 2nd Floor, Cosmos Tower, Dharampur Mandi, Araghar** देहरादून।
11. मेडिकल कट फाइल।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक(मा0सं0)